

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



आसाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 2018/माघ 14, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 438

No. 36]

DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 2018/MAGHA 14, 1939

[N.C.T.D. No. 438

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग

(गृह रक्षक शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं.फा. 1/11/2017/गृ.रक्षक./898.—दिनांक 24 सितम्बर 1968 को भारत राजपत्र के भाग-3 आसाधारण के उप-भाग (1) में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की का.आ. सं. 3252 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कमाण्डेंट (मुख्यालय) के पद हेतु भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

(i) इन नियमों को कमाण्डेंट (मुख्यालय) भर्ती नियमावली, 2018 कहा जाएगा

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

2. पदों की संख्या, वेतन मैट्रिक्स में स्तर का वर्गीकरण:- उक्त पद की संख्या, वेतन मैट्रिक्स के स्तर में इनका वर्गीकरण संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यता इत्यादि:- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलों उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति :

- (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,
वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शत यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/है किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की भावित :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेगा।

6. बचाव:- इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या किन्हीं विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	कमाण्डेंट (मुख्यालय)
2.	पदों की संख्या	:	1* (2018) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर-11 (67,700-2,08,700/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति :- ग्रेड में 07 (सात) वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400/-रुपये) में कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी। टीप-1: पदोन्नति किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पद की प्रकार्यात्मक अपेक्षा के अनुसार विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण करने की शर्त पर होगी। टीप-2: जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्त कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य

		<p>3. प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य</p> <p>4. महानिदेशक (गृह रक्षक), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य</p> <p>वर्ग 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति</p> <p>1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - अध्यक्ष</p> <p>2. प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य</p> <p>3. महानिदेशक (गृह रक्षक), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार - सदस्य</p>
13.	वे परिस्थितियों जिनमें मर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आलोक गर्ग, उप-सचिव (गृह)

HOME DEPARTMENT
(HOME GUARDS BRANCH)
NOTIFICATION

Delhi, the 2nd February, 2018

No. 1/11/2017/HG/898.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs S.O. number 3252 dated 24th September, 1968 published in the Gazette of India, Sub-Section (1) of section 3, Extraordinary dated 24th September, 1968, the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi hereby pleased to makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Commandant (HQ) in Directorate General of Home Guards, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: —

1. Short title and commencement:—

- (i) These rules may be called "Commandant (HQ)" Recruitment Rules, 2018.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, classification of Level in the Pay Matrix:—The number of post, its classification of Level in the Pay Matrix shall be specified in column (2) to (4) of the Schedule attached with the rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification, etc.:—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter relating thereto shall be specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications:— No person;

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:—Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. **Saving:**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST	NO. OF POST	CLASSIFICATION	Level in the Pay Matrix	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQD. FOR DIRECT RECRUITS	WHETHER AGE & EQ PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEEES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
COMMANDANT (HQ)	1* (2018) SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD.	GCS GROUP A GAZETTED	LEVEL-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700)	SELECTION	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE

PERIOD OF PROB. IF ANY	METHOD OF RECTT. WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND % OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS	IN CASE OF RECTT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION TO BE MADE	IF A DPC EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH UPSC IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TWO YEARS	BY PROMOTION	<p>PROMOTION: JUNIOR STAFF OFFICER IN LEVEL-7 (RS.44,900-1,42,400) IN PAY MATRIX WITH SEVEN - YEARS REGULAR SERVICE RENDERED IN THE GRADE. NOTE 1: THE PROMOTION SHALL BE SUBJECT TO COMPLETION OF MANDATORY TRAINING PRESCRIBED BY THE DEPARTMENT AS PER FUNCTIONAL REQUIREMENT OF THE POST, FROM A RECOGNIZED INSTITUTION. NOTE 2: WHERE JUNIORS WHO HAVE COMPLETED THEIR QUALIFYING / ELIGIBILITY SERVICE ARE BEING CONSIDERED FOR PROMOTION, THEIR SENIORS WOULD ALSO BE CONSIDERED PROVIDED THEY ARE NOT SHORT OF THE REQUISITE QUALIFYING/ ELIGIBILITY SERVICE BY MORE THAN HALF OF SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE. OR TWO YEARS, WHICHEVER IS LESS, AND HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED THEIR PROBATION PERIOD FOR PROMOTION TO THE NEXT HIGHER GRADE ALONGWITH THEIR JUNIORS WHO HAVE ALREADY COMPLETED SUCH QUALIFYING/ELIGIBILITY SERVICE.</p>	<p>GROUP 'A' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE</p> <p>(1) CHAIRMAN/MEMBER UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION - CHAIRMAN</p> <p>(2) CHIEF SECRETARY, GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI - MEMBER</p> <p>(3) PRINCIPAL SECRETARY (HOME), GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI - MEMBER</p> <p>(4) DIRECTOR GENERAL (HOME GUARD), GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI - MEMBER.</p> <p>GROUP 'A' DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE (1) CHIEF SECRETARY, GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI - CHAIRMAN</p>	CONSULTATION WITH UPSC NOT NECESSARY.

			(2) PRINCIPAL SECRETARY (HOME), GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI - MEMBER	
			(3) DIRECTOR GENERAL (HOME GUARD), GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI - MEMBER	

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ALOK GARG, Dy. Secy. (HOME)